प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

04 अगस्त **2017**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन संख्या 31 ''मनोरंजन क्षेत्र पर सेवाकर लगाने एवं इसकी वसूली'' - अप्रत्यक्ष कर-सेवाकर आज संसद में प्रस्तुत

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष कर-सेवाकर पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (2017 की संख्या 31) आज संसद में प्रस्तुत किया गया। इस प्रतिवेदन में ''मनोरंजन क्षेत्र पर सेवाकर लगाने एवं इसकी वसूली'' से संबंधित मामलों पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल है।

हमने मनोरंजन क्षेत्र पर सेवाकर लगाने एवं इसकी वसूली पर निष्पादन लेखापरीक्षा की ताकि यह आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि मनोरंजन क्षेत्र से संबंधित सेवाकर के निर्धारण, इसके उद्ग्रहण और वसूली के संबंध में समय-समय पर जारी नियम, विनियम, अधिसूचनायें, परिपत्र/निर्देश/व्यापार नोटिस आदि पर्याप्त हैं और इनका अनुपालन किया जा रहा है तथा वित्त अधिनियम में निर्धारित नियमों एवं विनियमों, सेवाकर नियमों और अन्य संबंधित नियमों अध्ययन के अंतर्गत विषय से संबंधित सेवा प्रदाता किस सीमा तक सेवाकर भुगतान करने हेतु दायी हैं, इन सबको लागू करने और इनका अनुपालन सुनिश्चित करने में विभागीय प्रशासन की दक्षता एवं प्रभाविता पर्याप्त थी। एक डिवीज़न और प्रति आयुक्तालय में एक रेंज सहित 17 चयनित आयुक्तालयों में निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी तथा 307 निर्धारितियों से संबंधित अभिलेखों की जाँच की गई थी।

लेखापरीक्षा से मनोरंजन क्षेत्र में सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मौजूदा प्रावधानों के साथ-साथ प्रणालीगत कमियों में कुछ अपर्याप्तता का पता चला, जिसका सार नीचे दिया गया है:-

a. रंगमंचीय अधिकारों को एक साथ मिलाने के कारण करयोग्य वाणिज्यिक गतिविधियां कराधान से बच जाती हैं, जो करार के माध्यम से इन सबको एक साथ मिलाकर मानने के कारण केवल रंगमंचीय अधिकारों के प्रति करयोग्य गैर-रंगमंचीय अधिकारों/अन्य गतिविधियों के साथ करमुक्त हैं।

b. कॉपीराइट जो सीमाओं सहित स्थानांतरित की गई हो को निरंतर स्थानांतरित के रूप में माना गया जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

c. कलाकारों/निर्माताओं के उदाहरण थे जिन्होंने गैर-करयोग्य क्षेत्र में नियोजित स्थान और सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से जुड़ने के लिये विदेशी संस्थाओं के साथ करार किया और इससे भारत के बाहर सेवा प्रदान करने को ध्यान में रखते हुये निर्यात के रूप में माना गया था।

d. प्रायोजिकता सेवाओं के अंतर्गत ₹ 14.71 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनुचित लाभ उठाया गया।

e. आयकर, कार्पोरेट मामला मंत्रालय (एमसीए) आदि जैसे अन्य डाटाबेस सहित विभाग से प्राप्त सेवा कर डाटा के प्रति-सत्यापन से करयोग्य सेवाओं से जुड़े निर्धारितियों के गैर-पंजीकरण के मामलों का पता चला, जिसमें ₹ 10 लाख (सेवा कर के लिय सीमा) से अधिक करयोग्य सेवा प्रदान करने वाला निर्धारिती और सेवा कर के अंतर्गत आय को कम बताने के मामले भी शामिल थे।

f. रिटर्न फाइल करने की मॉनीटरिंग, रिटर्न की संवीक्षा की क्षमता में कमियों, आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों और कारण बताओं नोटिस और न्यायिक निर्णय की प्रक्रिया में समस्या के मामले थे।

g. निर्धारित नियमों/प्रावधानों का पालन न करने के 156 मामले थे जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर/ब्याज/स्वच्छ भारत उपकर का गैर/कम भुगतान हुआ,

सेनवेट क्रेडिट का अनुचित/अधिक लाभ हुआ और ₹ 48.13 करोड़ के राजस्व से जुड़ी सेवाओं के निर्यात का अनुचित दावा किया गया।

- गैरअनुपालन की एक आपत्ति-, यात्रा, रहने एवं खाने, मेकअप कलाकारों-, हेयर स्टाइलिस्ट आदि से संबंधित कलाकारों द्वारा प्रयुक्त सेवाओं के मूल्य से संबंधित है, जिसकी व्यवस्था निर्माताओं द्वारा करार के भाग के रूप में की जाती है, और सेवाकर उद्देश्य के लिए कलाकार की आय में शामिल नहीं किया जाता।

सिफारिशों का सार

1. चूंकि निर्धारिती अधिकारों के हस्तांतरण के लिए करार की ड्राफ्टिंग करते समय 'अभिनेयता' और 'गैर-अभिनेयता' की परिभाषा में अस्पष्टता के कारण अनुचित लाभ उठा रहे हैं अत: इन परिभाषाओं में वैधानिक स्पष्टता लाने की आवश्यकता है।

2. व्याख्याओं के अवांछित लाभ से बचने के लिए और निर्यात लाभ देने में विधान के अभिप्राय को सुरक्षित करने के लिए सेवा नियमों के प्रावधान को सेवा विशिष्ट मामलों से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की आवश्यकता है।

3. मनोरंजन क्षेत्र में प्रायोजक सेवाओं के अंतर्गत सेनवेट क्रेडिट के लिए उपलब्ध प्रावधानों में मौजूदा अस्पष्टता को नियमों में प्रासंगिक संशोधन करके स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

4. विभाग को विशेष सैल सक्रिय करने और फाइलरों के रिकार्ड से विवरण के साथ साथ तीसरे पक्ष के डाटा के प्रयोग के लिए एक प्रणाली बनाने की आवश्यकता है ताकि संभावित अपंजीकृत तथा चूककर्त्ताओं कीपहचानकीजासके।

5. बोर्ड प्रक्रिया के स्वचालन और रिटर्न फाइल न करने/देरी से रिटर्न फाइल करने पर शास्ति/विलम्बित शुल्क के उदग्रहण के लिए नोटिस जारी करने पर विचार करे।

6. बोर्ड को यह सुनिश्चित करने कि पहले से उपलब्ध डाटा को पूरी तरह से उपयोग किया गया है अपने कर 360 कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता है अपने कर 360 कार्यक्रम को मजबूत करने की आवश्यकता है और क्षेत्र विशिष्ट डाटा सेटो की पहचान करे और उसे कर 360 कार्यक्रम से संम्बद्ध भी करे।

7. बोर्ड प्रणाली को संशोधित करने पर विचार करे जिसके माध्यम से एसीईएस में प्रांरभिक संवीक्षा के लिए स्वचालित जांच सूचियां ली जाती है।